औद्योगिक संबंध (पॉलिसी जनरल) (आईआर-पीजी)

कार्य के मद

1. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) के पुनर्गठन/जीर्णोद्धार/स्थगन प्रस्तावों/कैबिनेट नोट्स, बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, प्रतियोगिता बिल, कंपनी सुधार बिल इत्यादि के निरस्तीकरण के श्रम पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन करने हेतु निरीक्षण।

2. गैर-औद्योगिक/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिसके लिए केंद्र सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय V-B के तहत उचित सरकार होती है, से प्राप्त ले-ऑफ, निस्तीकरण तथा छंटनी की अनुमति हेतु अगली प्रक्रिया हेतु आवेदन।

3. औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति- सूती वस्त्र उद्योग, विद्युत निर्माण तथा वितरण उद्योग एवं जूट उद्योग।

औद्योगिक संबंध (कार्यान्वयन-I) (आईआर-आईएमपी-I)

कार्य के मद

1. केंद्रीय परिक्षेत्र में आने वाले उद्योगों/उपक्रमों के संदर्भ में अनुशासन संहिता के तहत यूनियनों की मान्यता।

2. ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सामान्य सत्यापन।

3. औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत पुरस्कारों का क्रियांवयन।

4. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत औद्योगिक पुरस्कार के एवज में प्रस्तावों की जांच।

** ** **

औद्योगिक संबंध (कार्यान्वयन-II) (आईआर-आईएमपी-II)

कार्य के मद

1. राज्य परिक्षेत्र में औद्योगिक संबंधों की सूचना की निगरानी तथा औद्योगिक संबंधों पर उपलब्ध आंकड़ों पर विश्लेषण तथा समय-समय पर औद्योगिक संबंधों पर सामान्य मूल्यांकन।

औद्योगिक संबंध (डेस्क) बैंक-I (आईआर-बी.I)

कार्य के मद

निम्नांकित प्रतिष्ठानों के संदर्भ में औद्योगिक विवाद:

(क) बैंकः

भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर इत्यादि, सभी विदेशी बैंक, सभी लिमिटेड बैंक, सभी सहकारी बैंक, सभी ग्रामीण बैंक, सभी क्षेत्रीय बैंक।

(ख) रेलवेः

सभी रेलवे प्रतिष्ठानों, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लि., इरकोन लि., रेलवे कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मद्रास से जुड़े सभी विवाद।

(ग) बीमाः

जीवन बीमा तथा अन्य बीमा कंपनियों से जुड़े सभी विवाद।

औद्योगिक संबंध (डेस्क) बैंक-II (आईआर-बी.II)

कार्य के मद

1. **राष्ट्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में औद्योगिक विवाद।**
2. **बैंकिंग उद्योग से जुड़े नीतिगत मामले।**

औद्योगिक संबंध (डेस्क) कोयले की खदानें-I (आईआर-सी.I)

कार्य के मद

1. **बिहार तथा झारखंड में स्थित कोयले की खदानों से जुड़े औद्योगिक विवाद।**
2. **आइडी अधिनियम के सेक्शन 2 में वर्णित एयर कॉरपोरेशन तथा ऑयल उद्योग से जुड़े औद्योगिक विवाद।**

**** ** ****

औद्योगिक संबंध (डेस्क) कोयले की खदानें-II (आइआर-सी.II)
कार्य के मद

1. कोयले की खदानों (आइआर (सी-1)), फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआइ) तथा भाखड़ा तथा व्यास प्रबंधन बोर्ड में उपजे विवाद ।

2. डेस्क तथा विंग रजिस्ट्री के बीच समंवय कार्य।

औद्योगिक संबंध (डेस्क) विभागीय उपक्रम (आइआर-डीयू)
कार्य के मद

1. डाक विभाग, दूर-संचार, भारत सरकार, प्रेस तथा विभागीय उपक्रम, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं, से जुड़े विवादों को अन्य डेस्क पर जाने की अनुमति नहीं होगी।

औद्योगिक संबंध (डेस्क) विविध (आईआर-एमआईएससी)
कार्य के मद

1. गैर-कोयला खदानों, पत्तनों तथा डॉक, एयरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईएसआइसी तथा केंद्रीय वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी)।

2. विभिन्न खदानों से, जिनके लिए केंद्र सरकार उपचित सरकार होगी, छंटनी/ ले ऑफ/ समापन के विभिन्न आवेदन।

** ** **